संख्या– / /XVIII(II)/2022–03(7)/2022

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उत्तराखण्ड देहरादून।

राजस्व अनुभाग–2 **देहरादूनः दिनांकः 18 अप्रैल, 2022**

विषयः–उप स्वास्थ्य केन्द्र चिल के भवन निर्माण हेतु 0.040 है0 भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–2313/5–21/रा0प0/2021, दिनांक 06 सितम्बर, 2021 तथा इस पत्र के साथ संलग्न जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के पत्र संख्या–6872/ग्यारह–25/2020–21, दिनांक 18 अगस्त, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उप स्वास्थ्य केन्द्र चिल के भवन निर्माण हेतु ग्राम चिल के तोक पितोली, रा0उ0नि0 क्षेत्र कोटमहरबिन्द, तहसील भनोली, जिला अल्मोड़ा के गैर ज0वि0खतौनी खाता संख्या–94, श्रेणी 9(3)ग (गौचर भूमि) के गाटा संख्या–123 रकबा 0.632 मध्ये 0.040 है0 भूमि स्वास्थ्य विभाग के नाम हस्तान्तरित किए जाने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।

2– उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उप स्वास्थ्य केन्द्र चिल के भवन निर्माण हेतु ग्राम चिल के तोक पितोली, रा0उ0नि0 क्षेत्र कोटमहरबिन्द, तहसील भनोली, जिला अल्मोड़ा के गैर ज0वि0खतौनी खाता संख्या–94, श्रेणी 9(3)ग (गौचर भूमि) के गाटा संख्या–123 रकबा 0.632 मध्ये 0.040 है0 भूमि शासनादेश संख्या–496/XVIII(II)/2020–08(63)/2016, दिनांक 28 जुलाई, 2020 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन स्वास्थ्य विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

(2) जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।

(3) हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग में लायी जाती है, तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(4) यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 03 वर्षो तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

(5) जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

(6) जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पडी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

.....2

(7) प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जाय।

(8) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

(9) प्रश्नगत भूमि हस्तान्तरण के पूर्व उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भू–व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा–132 एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) इस सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या–1132/2011 (एस0एल0पी0)/(सी) संख्या–3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रस्तावित भूमि हस्तान्तरण के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र का गौचर के रूप में 05 प्रतिशत बनाये रखना आवश्यक होगा।

(12) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या–01 से 11 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

3– कृपया, इस संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति, शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्या–569/XVIII(II)/2022, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– आयुक्त, कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
3– जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
4– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 आनन्द श्रीवास्तव)
अपर सचिव।